मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2016 (फाल्गुन 14, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 एवं 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

2. व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित किया जाना

खण्डवा में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर व्यवधान होने के कारण, सदन की कार्यवाही 10.45 बजे 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 10.57 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 127 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 127 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की गई अवैध नियुक्तियों के संबंध में,
(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इन्दौर में बरात आदि चल समारोहों के व्यस्ततम मार्ग से निकलने पर पाबंदी लगाये जाने,
(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की रतलाम एवं मंदसौर जिले के किसानों की भूमि ऊर्जा विभाग द्वारा न्यूनतम मूल्य पर लिये जाने,
(4) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य की नागदा एवं खाचरोद क्षेत्र में पेयजल संकट होने,
(5) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के प्रेमनगर थाना के अंतर्गत एक छात्र को गोली मारी जाने,
(6) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर के ग्राम बगासपुर से गोरतला झोतेश्वर तक के निर्मित मार्ग को अकारण ही पुन: निर्मित किये जाने,
(7) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली के ग्राम गेरेगांव में पेयजल समस्या होने,
(8) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में किसानों को प्राकृतिक आपदा का मुआवजा न मिलने,
(9) श्री लखन पटेल, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र पथरिया के ग्रामों में स्थित स्कूलों में छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित न होने,
(10) श्री मेहरबान सिंह रावत, सदस्य की छिन्दवाड़ा के रंगारी स्थित तालाब की ऊंचाई बढ़ाई जाने,
(11) श्री अरूण भीमावद, सदस्य की शाजापुर के लखुन्दर बांध से पानी न मिलने के कारण फसलों का नुकसान होने,
(12) श्री जतन उइके, सदस्य की सिवनी के सुनेहरा ग्राम में श्मशान भूमि पर से कब्जा हटाये जाने,
(13) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी शहर में शराब एवं सट्टे का अवैध कारोबार होने,
(14) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले में आवास ऋणों का निराकरण न होने,
(15) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा में ग्राम पंचेवा फंटे से सुखेदा बस स्टैण्ड तक एवं ग्राम फलालिया फंटे से ग्राम रिंगनोद तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(16) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की इछावर तहसील के ग्राम नयापुरा में अनुसूचित जाति मोहल्ले में अव्यवस्थित रखे बिजली ट्रांसफार्मर का स्थान परिवर्तित किये जाने,
(17) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा से मझियार मार्ग की हालत जर्जर होने,
(18) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा,सदस्य की रतलाम जिले के पिपलोदा में अग्नि पीड़ित दुकानदारों को आर्थिक सहायता न दिये जाने,
(19) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य की भोपाल के आरिफ नगर स्थित वक्फ सम्पत्ति पर अवैध रूप से स्कूल का संचालन होने,
(20) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य की बुरहानपुर स्थित महिला पोलिटेक्निक कालेज में स्टॉफ की कमी होने,
(21) श्री घनश्याम पिरौनिया, सदस्य की दतिया उन्नाव सड़क निर्माण में अनियमितता होने,
(22) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की सेवड़ा क्षेत्र में दन्दगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में सी.सी. रोड एवं गंदे पानी के निकास हेतु नाली का निर्माण न होने,

(23) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, सदस्य की कुक्षी क्षेत्र में वन अधिकार के तहत पट्टों का वितरण न होने,
(24) पं. रमाकांत तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र में सूखा पड़ने,
(25) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य की भीकनगांव क्षेत्र के अनेक विभागों में पद रिक्त होने,
(26) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य की राजगढ़ जिले की अजनार नदी पर रपटे के स्थान पर पुल का निर्माण किये जाने,
(27) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य की सिंगरौली जिले के चितावल पुल से बरवाडीह तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(28) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य की कटनी जिले में रेत के अवैध उत्खनन में रायल्टी चोरी होने,
(29) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के गुढ़ क्षेत्र में सूखा राहत राशि वितरण में अनियमितता होने,
(30) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की भोपाल के वार्ड क्रमांक 81 में सड़क का अभाव होने,
(31) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले में भारी वाहनों के प्रवेश से दुर्घटनाएं होने,
(32) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की प्रदेश में हैण्डपम्पों का पानी बंद होने,
(33) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच के ग्राम चीलाखेड़ा घसुण्डी मार्ग पर स्थित नाले का निर्माण शीघ्र कराये जाने,
(34) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की प्रदेश के विभागों में कार्यरत समयपालों को शासन के अन्य लाभ दिये जाने,
(35) श्री नागर सिंह चौहान, सदस्य की अलीराजपुर क्षेत्र के ग्रामों में आवारा पशुओं से परेशानी होने,
(36) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य की खरगापुर में पशुओं का बीमा न होने से पशुओं की मौत का मुआवजा न मिलने,
(37) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य की जबलपुर केन्ट क्षेत्र की अनेक कालोनियों में पेयजल संकट होने,
(38) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में पेयजल संकट होने,
(39) श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य की नरसिंहगढ़ को पर्यटन क्षेत्र घोषित किये जाने,
(40) श्री संजय शर्मा, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में इंदिरा आवास योजना के तहत राशि स्वीकृत न किये जाने,
(41) श्री मुकेश नायक, सदस्य की राज्य में बोगस राशन कार्ड्स की जांच कराई जाने तथा
(42) श्री सतीश मालवीय, सदस्य की घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में जल संग्रह हेतु तालाब न होने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

4. शून्यकाल में उल्लेख

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलावटी आयोडीन नमक बांटने से जनता पीड़ित होना

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा शून्यकाल में यह विषय उठाया गया कि - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 50 लाख आदिवासियों को मिलावटी आयोडीन नमक बांटने से करीब ढाई करोड़ बच्चे और युवक पीड़ित हो गये हैं. उनमें घेंघा रोग हो गया है. मंत्री महोदय उसकी जांच करा कर, जहां-जहां लोग घेंघा रोग से पीड़ित हुए है उनके इलाज की समुचित व्यवस्था कराएं और जिनके द्वारा बिना परीक्षण के नमक बांटा गया है उनके विरूद्ध कार्यवाही करें.

(2) पन्ना जिले की बंद हीरा खदानों से रेत, बोल्डर, पत्थर और हीरों का अवैध उत्खनन एवं बेचना

सर्वश्री रामनिवास रावत एवं मुकेश नायक, सदस्यगण द्वारा शून्यकाल में यह विषय उठाया गया कि - पन्ना जिले की बंद हीरा खदानों से अभी तक रेत, बोल्डर और पत्थर का अवैध खनन चलता था, अब हीरों का भी अवैध उत्खनन और बेचने के कारण प्रदेश के राजस्व में लगातार कमी आ रही है. इस तरह की चोरियों को रोकने के संबंध में ध्यानाकर्षण पर चर्चा करायें.

(3) बाबई विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि होने से तत्काल सर्वेक्षण कराकर, किसानों को लाभ पहुंचाना

श्री विजयपाल सिंह, सदस्य द्वारा शून्यकाल में यह विषय उठाया गया कि - कल दिनांक 3 मार्च, 2016 को सायं विधान सभा क्षेत्र बाबई में काफी ओलावृष्टि हुई है, तत्काल सर्वेक्षण कराकर, किसानों को लाभ पहुंचाने का कष्ट करें.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 57 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन सहित प्रतिवेदन पटल पर रखा.

6. अध्यक्षीय घोषणा

बुरहानपुर जिले में स्वकराधान योजना के तहत पंचायतों को राशि न मिलने संबंधी ध्यानाकर्षण आगामी बुधवार को लिए जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य की बुरहानपुर जिले में स्वकराधान योजना के तहत पंचायतों को राशि न मिलने संबंधी ध्यानाकर्षण पर संबंधित माननीय सदस्या के अनुरोध पर आज के स्थान पर आगामी 9 मार्च, 2016 को लिये जाने की अनुज्ञा मेरे द्वारा प्रदान की गई है. तद्नुसार यह ध्यानाकर्षण आगामी बुधवार को लिया जायेगा.

7. ध्यान आकर्षण

(2) सर्वश्री रामनिवास रावत, आरिफ अकील, सदस्यगण ने प्रदेश में मानसिक तनाव के कारण विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा का ध्यान आकर्षित किया.

श्री दीपक कैलाश जोशी, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया.

8. अध्यक्षीय घोषणा

प्रदेश में मानसिक तनाव के कारण विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या संबंधी ध्यानाकर्षण पर मुख्यमंत्री द्वारा सदन की समिति बनाने की मांग विषयक

मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संबंधित ध्यानाकर्षण पर अपना वक्तव्य देते हुए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि यदि आसंदी की अनुमति हो तो इस विषय पर सदन की एक समिति बनाई जाये जिसमें पक्ष-विपक्ष के सदस्य शामिल हो जो इस सामाजिक समस्या पर विषय के विशेषज्ञों से चर्चा करें और भारत में और दुनिया में विषय विशेषज्ञ इस मामले में हो सकते हैं. उनसे विचार करके सुझाव दें कि हम अपने बच्चों को इस दवाब से मुक्त करें और शिक्षा की व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किये जाये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन की ओर से चिंता व्यक्त करते हुए एक समिति की गठन की मंशा व्यक्त की है. इसलिये वे सारे प्रश्न जो आपके मन में है, वे सारे प्रश्न और सारे उत्तर उस समिति के सामने आये. जिससे एक ऐसी व्यवस्था निकले जो इस बड़ी समस्या का हल कर सके तो उचित होगा. इस संबंध में मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रतिपक्ष के नेता जी से सलाह कर के एक समिति का जल्दी गठन करूंगा और समय सीमा में उसके उत्तर की व्यवस्था करूंगा.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत की गई :-

(1) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)
(2) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(3) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(4) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(5) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(6) कुँवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(7) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(8) श्री वीर सिंह पवांर (जिला-विदिशा)
(9) श्रीमती उमा देवी खटीक (जिला-दमोह)
(10) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(11) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(12) श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया (जिला-गुना)
(13) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्ड़वा)
(14) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(15) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(16) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(17) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(18) कुँवर जी कोठार (जिला-राजगढ़)
(19) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(20) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(21) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(22) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(23) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(24) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-खण्डवा)
(25) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(26) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(27) पं. रमेश दुबे (जिला-छिंदवाड़ा)

10. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(2) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए एक हजार, आठ सौ सतहत्तर करोड़, सतासी लाख, बानवे हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या – 54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए इक्यानवे करोड़, पचास लाख, दो हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री गिरीश भंडारी
(2) श्रीमती शीला त्यागी
(3) श्री बहादुर सिंह चौहान

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(4) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्रीमती प्रमिला सिंह
(7) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर

11. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक एवं भोजन की व्यवस्था विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्य सूची में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि तथा कार्यसूची में उल्लेखित अनुदान की मांगों पर चर्चा के उपरांत अशासकीय कार्य लिये जाने संबंधी घोषणा की गई.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों के लिये सदन की लॉबी में भोजन की व्यवस्था की जा रही है माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

12. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(8) श्री गिरीश गौतम
(9) श्री शैलेन्द्र पटेल

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(10) श्री दुर्गालाल विजय
(11) श्री दिनेश राय
(12) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(13) डॉ. योगेन्द्र निर्मल
(14) कुंवर सौरभ सिंह
(15) श्री लखन पटेल
(16) डॉ. रामकिशोर दोगने
(17) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(18) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(19) श्री अनिल जैन
(20) कुंवर विक्रम सिंह
(21) श्री जालम सिंह पटेल
(22) श्री सतीश मालवीय
(23) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(24) श्री नारायण सिंह पंवार

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. अशासकीय संकल्पों को एकजाई कर चर्चा कराने सम्बन्धी अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि - विधान सभा नियमावली के नियम 27 (4) के अनुसार एक दिन की बैठक हेतु 5 से अनाधिक अशासकीय संकल्प कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने का उल्लेख है परन्तु विषयों की एकरूपता को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में आज की कार्यसूची में क्रमश : 6 एवं 2 अशासकीय संकल्पों को एकजाई कर सम्मिलित किया गया है. पहले परिवहन विभाग से संबंधित संकल्पों को संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा एक-एक कर प्रस्तुत किया जायेगा और तदुपरांत प्रस्तुत संकल्पों पर एक साथ चर्चा होगी. यही प्रक्रिया शेष संकल्पों हेतु रहेगी. (सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई). अब मैं प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के क्रमश: नाम पुकारूंगा.

14. अशासकीय संकल्प

(1) श्री दुर्गालाल विजय, कुँवर विक्रम सिंह, श्री दिव्यराज सिंह, सर्वश्री रामेश्वर शर्मा एवं यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्यगण द्वारा क्रमश: निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किये गए -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि - (i) श्योपुर से ग्वालियर छोटी रेल लाईन (नैरोगेज) को बड़ी रेल लाईन (ब्राडगेज) में परिवर्तन करने के कार्य को शीघ्र प्रारंभ किया जाए, (ii) छतरपुर जिले के रेल्वे स्टेशन डुमरा-सिंहपुर में खजुराहो से आने तथा जाने वाली इन्टरसिटी एवं सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस गाड़ियों का स्टापेज किया जाए, (iii) रीवा से इंदौर चलने वाली ट्रेन क्रमांक 11703 को सायं 6.00 बजे तथा इंदौर से रीवा चलने वाली ट्रेन क्रमांक 11704 सायं 5.00 बजे से प्रारंभ कर स्लीपर कोच के साथ प्रतिदिन चलाई जाए, (iv) मध्यप्रदेश के भोपाल के समीप बैरागढ़ रेल्वे स्टेशन को प.म.रे. रतलाम से प्रशासनिक रूप से हटाकर समीपस्थ भोपाल रेल मण्डल (डी.आर.एम.कार्यालय) से जोड़ा जाए.".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री दुर्गालाल विजय

सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए.

(2) कुंवर विक्रम सिंह
(3) श्री दिव्यराज सिंह
(4) श्री रामेश्वर शर्मा

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(6) श्री मुकेश नायक

श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

समस्त संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए.

(2) सर्वश्री रामनिवास रावत, शैलेन्द्र पटेल, श्रीमती ममता मीना, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया –

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि - (i) प्रदेश के मीना/ मीणा (रावत, मैना, देशवाली), मांझी (कहार, ढीमर, भोई, केवट), कीर एवं पारदी जाति को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में सम्मिलित किया जाए तथा (ii) रजक/धोबी एवं कुम्हार जाति को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति की अनुसूची में सम्मिलित किया जाए."

श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि संकल्प क्रमांक 2 (i) की द्वितीय पंक्ति में शब्दावली "पारदी" के बाद शब्दावली तथा "धानक" जोड़ा जाये.

संशोधन प्रस्तुत हुआ. मूल अशासकीय संकल्प एवं प्रस्तुत संशोधन पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री जालम सिंह पटेल
(3) श्री शैलेन्द्र पटेल

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(4) श्रीमती ममता मीना
(5) श्री पन्नालाल शाक्य
(6) श्री दुर्गालाल विजय
(7) श्री वैलसिंह भूरिया
(8) श्री मेहरबान सिंह रावत

(9) श्री विजयपाल सिंह
(10) श्री इन्दर सिंह परमार
(11) श्री गिरीश भंडारी
(12) डॉ. रामकिशोर दोगने
(13) कुंवर विक्रम सिंह

श्री उमाशंकर गुप्ता, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

सदन की सहमति से संशोधन वापस लिया गया.
तदुपरांत मूल संकल्प स्वीकृत हुए.

अपराह्न 4.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 2016 (18 फाल्गुन, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 4 मार्च, 2016